

[2023] 5 एस. सी. आर 401

ए.

मैजिक आई डेवलपर्स पीवीटी। लिमिटेड. वी.

मेसर्स ग्रीन एज इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. लिमिटेड और ओ. आर. एस. ईटीसी।

(सिविल अपील संख्या 2023 की 3634-37) 12 मई, 2023

बी.

[एम. आर. शाह और सी. टी. रविकुमार, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996-मध्यस्थता और सुलह संशोधन अधिनियम, 2015 -धारा 11 (6)-पूर्व-संदर्भित अधिकारिता-उच्च न्यायालय के समक्ष, अपीलार्थी ने एक मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व के संबंध में आपत्ति जताई-उच्च न्यायालय/संदर्भित न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि विवाद की मध्यस्थता के मुद्दे को मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा संबोधित किया जा सकता है-इसके बाद, उच्च न्यायालय ने विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया और एक मध्यस्थ नियुक्त किया-अपील पर, अभिनिर्धारित किया:न्यायालय यू/एस की पूर्व-संदर्भित क्षेत्राधिकार।¹¹(6) मध्यस्थता अधिनियम बहुत संकीर्ण है और इसमें दो पूछताछ होती हैं-प्राथमिक जांच मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व और वैधता के बारे में होती है और माध्यमिक जांच विवाद की गैर-मध्यस्थता के संबंध में होती है-अस्तित्व और मध्यस्थता समझौते की वैधता का मुद्दा निर्णायक रूप से और अंत में रेफरल अदालत द्वारा रेफरल चरण में ही तय किया जाना चाहिए और इसे मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित करने के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए क्योंकि यह मामले के मूल तक जाता है-इसके अलावा, यह रेफरल अदालत का कर्तव्य है कि वह पहले उक्त मुद्दे पर निर्णायक रूप से निर्णय ले जब कोई मध्यस्थता समझौता मौजूद न हो और/या जब कोई वैध मध्यस्थता समझौता न हो तो पक्षों को मध्यस्थता के लिए मजबूर होने से बचाएं।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना:1. कानून की तय स्थिति के अनुसार, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत अदालत का पूर्व-संदर्भित अधिकार क्षेत्र बहुत संकीर्ण है और इसमें दो पूछताछ होती हैं। प्राथमिक जांच एक मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व और वैधता के बारे में है।

एच.

401 ए.

402 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 5 एस. सी. आर.

जिसमें समझौते के पक्षों और उक्त समझौते के लिए आवेदक की गोपनीयता के बारे में जांच भी शामिल है। उक्त मामले में रेफरल अदालत द्वारा पूरी तरह से जांच की आवश्यकता है। माध्यमिक जांच जो संदर्भ स्तर पर ही उत्पन्न हो सकती है, वह विवाद की गैर-मध्यस्थता के संबंध में है। दोनों अलग और अलग हैं। जहाँ तक मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व और वैधता के संबंध में पहले मुद्दे का संबंध है, जैसा कि यह मामले की जड़ तक जाता है, उसी पर निर्णायक रूप से रेफरल स्तर पर रेफरल अदालत द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए। अब, जहाँ तक विवाद की गैर-मध्यस्थता का संबंध है, विद्या द्रोल्या के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार भी, न्यायालय पूर्वनिर्धारित स्तर पर और अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत अधिकार क्षेत्र की जांच करते समय दावों की मध्यस्थता की प्रथम दृष्टया जांच करने पर भी विचार कर सकता है। जैसा कि देखा गया है, संदर्भ स्तर पर प्रथम दृष्टया समीक्षा डेडवुड को काटना और सीधे मामलों में साइड शाखाओं को काटना है जहाँ बर्खास्तगी नंगे चेहरे और पेलुसिड है और जब तथ्यों और कानून पर मुकदमेबाजी को पहले चरण में रोकना चाहिए। तथापि, जहाँ तक मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व और वैधता के संबंध में विवाद का संबंध है और जब इसे पूर्व-रेफरल स्तर पर उठाया जाता है, तो रेफरल अदालत को उक्त मुद्दे पर निर्णायक रूप से और अंत में निर्णय लेना होता है और उक्त मुद्दे को मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित करने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। इसका कारण यह है कि मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व और वैधता के संबंध में मुद्दा मामले की जड़ तक जाता है। यदि मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व और वैधता के संबंध में विवाद/मुद्दा निर्णायक रूप से और अंत में रेफरल अदालत द्वारा धारा 11 (6) के तहत पूर्व-रेफरल अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए तय नहीं किया जाता है और इसे मध्यस्थता न्यायाधिकरण पर छोड़ दिया जाता है, तो यह मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (6 ए) के विपरीत होगा। यह रेफरल अदालत का कर्तव्य है कि वह पहले उक्त मुद्दे पर निर्णायक रूप से निर्णय ले ताकि पक्षकारों को मध्यस्थता करने के लिए मजबूर होने से बचाया जा सके जब कोई मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है और/या जब कोई वैध मध्यस्थता समझौता नहीं है। [पैरा 5.3] [407-सी-एच; 408-बी-सी]

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

2. रेफरल अदालत ने उक्त मुद्दे पर निर्णायक रूप से निर्णय नहीं लिया है और अंत में रेफरल अदालत ने इसे मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा तय करने के लिए छोड़ दिया है। पैराग्राफ ए में की गई कुछ टिप्पणियों पर भरोसा करते हुए प्रतियोगी प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत करना

एच.

403

मैजिक आई डेवलपर्स पीवीटी। लिमिटेड. वी. मेसर्स ग्रीन एज इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. लिमिटेड।

22 विवादित आदेश के बारे में कि रेफरल अदालत ने वास्तव में यह राय दी है कि चार समझौते निर्विवाद रूप से आपस में जुड़े हुए हैं, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि पैराग्राफ 22 में की गई टिप्पणियों को अलग-अलग मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए अपीलार्थी की प्रार्थना के साथ पढ़ा जाना चाहिए। हालाँकि, पैराग्राफ 13 में, यह विशेष रूप से रेफरल अदालत द्वारा देखा गया है कि "यह न्यायालय इस पहलू पर अंततः एक या दूसरे तरीके से निर्णय नहीं दे सकता है।" पैराग्राफ 14 में भी, यह विशेष रूप से देखा गया है कि एस. एच. ए.-1 के मध्यस्थता खंड 27.3 के रूप में उठाए गए विवाद की मध्यस्थता एक संबंधित मुद्दा है, जिसे

विद्वान मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा संबोधित किया जा सकता है। इस प्रकार, रेफरल अदालत ने अंततः मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व और वैधता पर कुछ भी नहीं कहा है जो रेफरल अदालत द्वारा किया जाना चाहिए था। [पैरा 6]

बी.

सी.

विद्या द्रोलिया और ओआरएस। बनाम दुर्गा व्यापार निगम (2021) 2 एस. सी. सी. 1; एन. ग्लोबल मर्केटाइल प्राइवेट लिमिटेड बनाम इंडो यूनिफ फ्लेम लिमिटेड और अन्य। 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 495; एनटीपीसी लिमिटेड। बनाम एस. पी. एम. एल. इन्फ्रा लिमिटेड 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 389; क्लोरो कंट्रोल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम सेवर्न ट्रेंट वाटर प्यूरिफिकेशन इंक. और अन्य। (2013)

डी.

1 एससीसी 641:[2012] 13 एस. सी. आर. 402; ओलंपस

सुपरस्ट्रक्चर्स (पी) लिमिटेड बनाम मीना विजय खेतान (1999)

5 एससीसी 651:[1999] 3 एस. सी. आर. 490—संदर्भित। मामला कानून संदर्भ

ई.

(2021) 2 एससीसी 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 2.2

[2012] 13 एससीआर 402

संदर्भित किया गया है

पैरा 4.2

[1999] 3 एससीआर 490

संदर्भित किया गया है

पैरा 4.2

एफ.

सिविल अपील न्यायनिर्णय: 2023 की सिविल अपील संख्या 3634-3637

ए. आर. बी. में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के 25.03.2021 दिनांकित निर्णय और आदेश से। 2019 की पी संख्या 347, 2020 की 753 और 2019 की ओ. एम. पी. (आई) (सी. ओ. एम. एम.) संख्या 26, 2020 की 114।

जी.

प्रीतेश कपूर, नीरज किशन कौल, वरिष्ठ अधिवक्ता, शौनक कश्यप, निष्ठा गुप्ता, मेसर्स मिस्त्र एंड मिस्त्र कंपनी, अभिमन्यु भंडारी, आरुष भाटिया, सुश्री रुह-ए-हिना दुआ, शुभंकर सेनगुप्ता, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

एच.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 5 एस सी आर।

ए.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. संबंधित मध्यस्थता याचिकाओं में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित सामान्य निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने विवादों को मध्यस्थता के लिए भेजा है और एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया है, मूल प्रतिद्वंद्वी-मैजिक आई डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

बी.

2. वर्तमान अपीलों में शामिल मुद्दा एक बहुत ही संकीर्ण दिशा में है, अर्थात् मध्यस्थता और सुलह संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 11 (6) के तहत न्यायालय के पूर्व-संदर्भित अधिकार क्षेत्र में है। 2.1 शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी ने विशेष रूप से मध्यस्थता समझौते/खंड के अस्तित्व के संबंध में आपत्ति जताई थी। अपीलार्थी की ओर से यह मामला था कि विवाद पूरी तरह से समझौता ज्ञापन-2 के इर्द-गिर्द घूमता है जिसमें मध्यस्थता खंड शामिल नहीं है। हालांकि, दूसरी ओर, यहां मूल आवेदक की ओर से यह मामला था कि अन्य समझौते यानी एसएचए-1, एसएचए-2 और एमओयू-1 एमओयू-2 के साथ आपस में जुड़े हुए हैं, जिसमें मध्यस्थता खंड/समझौता शामिल है और इसलिए, उपरोक्त सभी समझौतों को एमओयू-2 के साथ पढ़ने की आवश्यकता है।

सी.

डी.

ई.

2.2 विवादित सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा और विद्या द्रोलिया और अन्य के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करके।

बनाम दुर्गा व्यापार निगम, (2021) 2 एस. सी. सी. 1 और अवलोकन द्वारा

कि विवाद की मध्यस्थता, अर्थात् एसएचए-1 का मध्यस्थता खंड 27.3, एक संबंधित मुद्दा है और उक्त मुद्दे को विद्वत मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा संबोधित किया जा सकता है, इसमें शामिल लेनदेन की जटिलता को देखते हुए, उच्च न्यायालय ने विवादों को मध्यस्थता के लिए भेजा है और मध्यस्थ नियुक्त किया है।

एफ.

3. श्री प्रीतेश कपूर, दुबले-पतले वरिष्ठ अधिवक्ता, अपीलार्थी की ओर से पेश हुए हैं और श्री नीरज किशन कौल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रतियोगी प्रतिवादी-मूल आवेदक की ओर से पेश हुए हैं।

जी.

3.1 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रीतेश कपूर हमें मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (6 ए) में ले गए हैं और उन्होंने प्रस्तुत किया है कि मध्यस्थता और सुलह के बाद संशोधन ए

मैजिक आई डेवलपर्स पीवीटी। लिमिटेड. वी.मेसर्स ग्रीन एज इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. लिमिटेड। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

अधिनियम, 2015 जिसके द्वारा मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 में उप-धारा (6 ए) को जोड़ा गया है, अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत आवेदन पर निर्णय लेते समय और पूर्व-संदर्भित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, न्यायालय को एक मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व पर विचार और जांच करनी होती है और इसे मध्यस्थता न्यायाधिकरण पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

बी.

3.2 यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि मध्यस्थता खंड के अस्तित्व और वैधता और विवाद की गैर-मध्यस्थता के बीच अंतर और अंतर है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहां तक अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत पूर्व-संदर्भित अधिकार क्षेत्र के स्तर पर मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व और वैधता के संबंध में मुद्दा है, न्यायालय को ऐसे मुद्दे पर अंततः एक विशिष्ट निष्कर्ष देना होगा और ऐसा मुद्दा मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, उच्च न्यायालय ने विद्या द्रोलिया (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय को गलत तरीके से लागू किया है और/या गलत पढ़ा है।

सी.

3.3 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कपूर द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया गया है कि जब मामला स्पष्ट रूप से गैर-मध्यस्थता योग्य हो तो पक्षकारों को मध्यस्थता करने के लिए मजबूर होने से बचाना रेफरल अदालत का कर्तव्य है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मध्यस्थता समझौते/खंड के अस्तित्व और वैधता के संबंध में विवाद मामले की जड़ तक जाता है और इसे पहले रेफरल अदालत द्वारा तय किया जाना है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि अंततः यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि मध्यस्थता समझौते का कोई अस्तित्व नहीं है और/या कोई वैध मध्यस्थता समझौता नहीं है और उक्त मुद्दे को मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा उस मामले में निर्णय लेने के लिए छोड़ दिया जाता है तो मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा पूरी कवायद व्यर्थ होगी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए सार्वजनिक और निजी संसाधनों की बर्बादी को रोकने के लिए और अधिनियम की धारा 11 (6 ए) को ध्यान में रखते हुए, रेफरल अदालत को अंततः मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व और वैधता के संबंध में मुद्दे को समाप्त करना होगा। रिलायंस को संविधान पीठ के हालिया फैसले पर रखा गया है

डी.

ई.

एफ.

एन. एन. ग्लोबल मर्केटाइल प्राइवेट लिमिटेड बनाम के मामले में यह न्यायालय। इंडो यूनिक फ्लेम लिमिटेड और ओआरएस, 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 495।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त निर्णय में यह न्यायालय द्वारा देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि एक समझौते के बिना, मध्यस्थता का कोई संदर्भ नहीं हो सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आगे यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि एक मध्यस्थता समझौते को धारा 7 (1) की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह आगे देखा जाता है और अभिनिर्धारित किया जाता है कि अधिनियम में धारा 11 (6 ए) को शामिल करने के पीछे वास्तविक इरादा न्यायालय को, धारा 11 के तहत कार्य करते हुए, एक मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच और पता लगाने के लिए सीमित करना था।

जी.

एच.

406

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 5 एस सी आर।

3.4 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कपूर ने भी इस न्यायालय के हाल के फैसले पर भरोसा किया है।

एनटीपीसी लिमिटेड का मामला। बनाम एस. पी. एम. एल. इन्फ्रा लिमिटेड, 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 389 (पैराग्राफ 19, 25 और 28)।

4. वर्तमान अपीलों का विरोध करते हुए, मूल आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नीरज किशन कौल ने जोरदार ढंग से कहा है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने विद्या द्रोलिया (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले का सही तरीके से पालन किया है और पक्षकारों के बीच विवादों को सही तरीके से मध्यस्थता के लिए भेजा है।

बी.

सी.

4.1 मूल आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कौल ने जोर देकर कहा कि वर्तमान मामले में सभी समझौतों, अर्थात् एसएचए-1, एसएचए-2 और एमओयू-1 को एमओयू-2 के साथ पढ़ने की आवश्यकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि समझौता ज्ञापन-2 के अलावा अन्य समझौतों में मध्यस्थता खंड, विशेष रूप से एसएचए-1 में खंड 27.3 शामिल है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 22 में विशेष रूप से अवलोकन किया है और राय दी है कि चार समझौते निर्विवाद रूप से आपस में जुड़े हुए हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक बार एक विशिष्ट निष्कर्ष दिए जाने के बाद कि सभी समझौते आपस में जुड़े हुए हैं, उस समझौते को जिसमें एक मध्यस्थता खंड है, एमओयू-2 के साथ पढ़ा जाना चाहिए और इसलिए, उच्च न्यायालय ने विवादों को उचित रूप से मध्यस्थता के लिए भेजा है। 4.2 मूल आवेदक की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कौल ने इस न्यायालय के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा किया है।

डी.

ई.

क्लोरो कंट्रोल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम सेवर्न ट्रेंट वाटर प्यूरीफिकेशन इंक. और ओआरएस., (2013) 1 एससीसी 641 के साथ-साथ

ओलंपस सुपरस्ट्रक्चर्स (पी) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय

एफ.

लि. बनाम मीना विजय खेतान, (1999) 5 एस. सी. सी. 651 उनके समर्थन में

प्रस्तुत करना कि सभी चार समझौते आपस में जुड़े हुए हैं और इसलिए, उन्हें पूरी तरह से पढ़ने की आवश्यकता है।

5. सुना है। इस न्यायालय के विचार के लिए जो छोटा सवाल उठाया जाता है, वह है, पूर्व-संदर्भित चरण में रेफरल अदालत का अधिकार क्षेत्र जब मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व और वैधता के संबंध में मुद्दा उठाया जाता है।

जी.

5.1 उपरोक्त मुद्दे पर विचार करते समय मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (6 ए), जिसे मध्यस्थता और सुलह संशोधन अधिनियम, 2015 के माध्यम से जोड़ा गया है, को पढ़ने की आवश्यकता है जो इस प्रकार है:— ए.

एच.

407

मैजिक आई डेवलपर्स पीवीटी। लिमिटेड. वी.मेसर्स ग्रीन एज इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. लिमिटेड। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

“(6-क) उच्चतम न्यायालय या, यथास्थिति, उच्च न्यायालय, उप-धारा (4) या उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के तहत किसी भी आवेदन पर विचार करते समय, किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद, मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच तक ही सीमित रहेगा।”

बी.

5.2 इस प्रकार, मध्यस्थता और सुलह संशोधन अधिनियम, 2015 के बाद, अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत अदालत का अधिकार क्षेत्र यह जांचने तक सीमित है कि क्या पक्षों के बीच एक मध्यस्थता समझौता मौजूद है—“कुछ भी अधिक नहीं, कुछ भी कम नहीं”। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 11 (6 ए) के अनुसार, मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व के संबंध में विवाद/मुद्दे पर विचार करना रेफरल अदालत का कर्तव्य है।

सी.

5.3 इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि कानून की तय स्थिति के अनुसार, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत न्यायालय का पूर्व-संदर्भित अधिकार क्षेत्र बहुत संकीर्ण है और इसमें दो पूछताछ होती हैं। प्राथमिक जांच एक मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व और वैधता के बारे में है, जिसमें समझौते के पक्षों और उक्त समझौते के लिए आवेदक की गोपनीयता के बारे में भी जांच शामिल है। उक्त मामले में रेफरल अदालत द्वारा पूरी तरह से जांच की आवश्यकता है। [एन. टी. पी. सी. लिमिटेड (ऊपर) के मामले में निर्णय का अनुच्छेद 25]। माध्यमिक जांच जो संदर्भ स्तर पर ही उत्पन्न हो सकती है, वह विवाद की गैर-मध्यस्थता के संबंध में है। दोनों अलग और अलग हैं। जहाँ तक मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व और वैधता के संबंध में पहले मुद्दे का संबंध है, जैसा कि यह मामले की जड़ तक जाता है, उसी पर निर्णायक रूप से रेफरल स्तर पर रेफरल अदालत द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए। अब, जहाँ तक विवाद की गैर-मध्यस्थता का संबंध है, यहाँ तक कि विद्या द्रोलिया (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार, न्यायालय पूर्व-संदर्भित चरण में और अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत अधिकार क्षेत्र की जांच करते समय दावों की मध्यस्थता की जांच करने पर भी विचार कर सकता है। जैसा कि देखा गया है, संदर्भ स्तर पर प्रथम दृष्टया समीक्षा डेडवुड को काटना और सीधे मामलों में साइड शाखाओं को काटना है जहाँ बर्खास्तगी नंगे चेहरे और पेलुसिड है और जब तथ्यों और कानून पर मुकदमेबाजी को पहले चरण में रोकना चाहिए। तथापि, जहाँ तक मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व और वैधता के संबंध में विवाद का संबंध है और जब इसे पूर्व-रेफरल चरण में उठाया जाता है, तो रेफरल अदालत को उक्त मुद्दे पर निर्णायक रूप से और अंत में निर्णय लेना होता है और उक्त मुद्दे को मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित करने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। कारण यह है कि मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व और वैधता के संबंध में मुद्दा जाता है

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

408

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 5 एस सी आर।

विषय की जड़। जैसा कि संविधान पीठ ने कहा है कि

एन. एन. ग्लोबल मर्केटाइल प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर) का मामला बिना किसी समझौते के,

मध्यस्थता का कोई संदर्भ नहीं हो सकता है। उक्त निर्णय में इस न्यायालय ने विशेष रूप से यह भी कहा और अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम में धारा 11 (6 ए) को शामिल करने के पीछे का इरादा धारा 11 के तहत कार्य करने वाले न्यायालय को मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच और पता लगाने के लिए सीमित करना था। हमारी राय है कि यदि किसी मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व और वैधता के संबंध में विवाद/मुद्दा निर्णायक रूप से और अंत में रेफरल अदालत द्वारा धारा 11 (6) के तहत पूर्व-रेफरल अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए तय नहीं किया जाता है और इसे मध्यस्थता न्यायाधिकरण पर छोड़ दिया जाता है, तो यह मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (6 ए) के विपरीत होगा। यह रेफरल अदालत का कर्तव्य है कि वह पहले उक्त मुद्दे पर निर्णायक रूप से निर्णय ले ताकि पक्षकारों को मध्यस्थता करने के लिए मजबूर होने से बचाया जा सके जब कोई मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है और/या जब कोई वैध मध्यस्थता समझौता नहीं है।

बी.

सी.

6. रेफरल अदालत द्वारा पारित विवादित सामान्य आदेश से, पैराग्राफ 11 से 13 में की गई टिप्पणियों से यह प्रतीत होता है कि रेफरल अदालत ने उक्त मुद्दे पर निर्णायक रूप से निर्णय नहीं लिया है और अंत में रेफरल अदालत ने इसे मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा तय करने के लिए छोड़ दिया है। विवादित आदेश के पैराग्राफ 22 में की गई कुछ टिप्पणियों पर भरोसा करते हुए कि रेफरल अदालत ने वास्तव में यह राय दी है कि चार समझौते निर्विवाद रूप से आपस में जुड़े हुए हैं, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि पैराग्राफ 22 में की गई टिप्पणियों को अलग-अलग मध्यस्थ (ओं) नियुक्त करने के लिए अपीलार्थी की प्रार्थना के साथ पढ़ा जाना चाहिए। हालाँकि, पैराग्राफ 13 में, यह विशेष रूप से रेफरल अदालत द्वारा देखा गया है कि "यह न्यायालय इस पहलू पर अंततः एक या दूसरे तरीके से निर्णय नहीं दे सकता है।" पैराग्राफ 14 में भी, यह विशेष रूप से देखा गया है कि एस. एच. ए.-1 के मध्यस्थता खंड 27.3 के रूप में उठाए गए विवाद की मध्यस्थता एक संबंधित मुद्दा है, जिसे विद्वान मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा संबोधित किया जा सकता है। इस प्रकार, रेफरल अदालत ने अंततः मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व और वैधता पर कुछ भी नहीं कहा है जो रेफरल अदालत द्वारा किया जाना चाहिए था।

डी.

ई.

एफ.

जी.

7. अब, जहाँ तक श्री कौल द्वारा प्रस्तुत किए जाने की बात है, वरिष्ठ अधिवक्ता ने जाना कि सभी समझौतों को आपस में जोड़ा जा रहा है और आपस में जोड़ा जा रहा है और इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया जा रहा है।

क्लोरो कंट्रोल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर) और ओलंपस सुपरस्ट्रक्चर्स (पी) लिमिटेड (ऊपर) के मामलों में, हम ए में जाने का प्रस्ताव नहीं करते हैं।

एच.

409

मैजिक आई डेवलपर्स पीवीटी। लिमिटेड. वी.मेसर्स ग्रीन एज इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. लिमिटेड। [एम. आर. शाह, जे.]

समान गुणों पर रेफरल अदालत द्वारा विचार किया जाना चाहिए। हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को योग्यता के आधार पर प्रस्तुत करने की अनुमति भी नहीं दी है।

8. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, संबंधित मध्यस्थता याचिकाओं में उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित सामान्य निर्णय और आदेश, विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना, इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है। संबंधित मध्यस्थता याचिकाओं पर नए सिरे से और ऊपर की गई टिप्पणियों के आलोक में निर्णय लेने और मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व और वैधता के संबंध में इस मुद्दे पर निर्णायक और अंत में निर्णय लेने के लिए मामले को उच्च न्यायालय/रेफरल अदालत को वापस भेजा जाता है। उपरोक्त प्रक्रिया वर्तमान आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर पूरी की जानी चाहिए। हालांकि, यह देखा गया है कि हमने मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व और वैधता और चार समझौतों के आपस में जुड़े/आपस में जुड़े होने पर गुण-दोष पर कुछ भी व्यक्त नहीं किया है। अंततः यह उच्च न्यायालय/रेफरल अदालत पर निर्भर करता है कि वह कानून के अनुसार और अपने गुण-दोष के आधार पर उचित निर्णय ले। वर्तमान अपीलों को तदनुसार उपरोक्त सीमा तक अनुमति दी जाती है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

बी.

सी.

डी.

अंकित ज्ञान

अपीलों की अनुमति दी गई।

(सहायक: अभिषेक अग्रिहोत्री और आर्श चौधरी, एलसीआरए)

ई.

एफ.

जी.

एच.